राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/E-73473/171 दिनांकः 12/02/2018

परिपत्र

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अनुसार "राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक है, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा एवं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पक्षकारों के माता–पिता या यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन पश्चात् नियमानुसार उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिससे क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनो पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

यद्यपि धारा 3 विशेष रूप से राजस्थान में अनुष्ठापित होने वाले विवाहों के लिए है किन्तु अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह पंजीयन हेतु उस रजिस्ट्रार को भी विवाह के लिए नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में वर/वधू निवास करते है।

राज्य के आमजन को राज्य/देश से बाहर अनुष्ठापित किये गये विवाहों के पंजीकरण को अधिक सरल एवं जनसाधारण के लिए सुगम बनाये जाने तथा नव वर–वधू को विवाह पंजीयन के सन्दर्भ में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्धेश्य से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता क्षेत्र में अधिनियम की धारा 3 के साथ सपठित धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित विवाहों का पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप सम्पादित करेगाः–

1. **भारत के नागरिको का राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित विवाह**
2. **भारत के नागरिको के बीच अन्य राज्यों में अथवा भारत के बाहर अनुष्ठापित विवाह, जिसमें कोई एक अथवा दोनो पक्ष राजस्थान का निवासी हो।**

अतः राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/e-73473/171 दिनांक: 12/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (कलक्टर), जिला..................................
3. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला..
4. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला नोडल विवाह अधिकारी एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....................................
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव